प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ दिनांक 16.07.2024

थाना बाघराय,

हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण, पति ही निकला पत्नी का कातिल

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर दिए गये थे सख्त निर्देश

उच्चाधिकारी के नेतृत्व में फील्ड यूनिट की मदद से मृतका के शव का कराया गया पोस्टमार्टम

प्रकाश में आये हत्या के अभियोग में मृतका का पति/ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा अपनी पत्नी उम्र 50 वर्ष की हत्या का अभियोग थाना बाघराय में दर्ज कराया गया था

दिनांक 13.07.2024 को सीमेन्ट की बनी चादर के छप्पर के नीचे धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी गयी थी

अभियुक्त रामकुमार पटेल पुत्र मयाराम पटेल को दि0 15.07.2024 को समय करीब 23.55 बजे अभियुक्त के घर से मय आलाकत्ल के गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से 01 धारदार बांका, 01 प्लास्टिक की बोरी व घटना के समय अभियुक्त के पहने हुये इनर वियर बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.07.2024 को वादी मुकदमा रामकुमार पटेल पुत्र मयाराम पटेल नि0ग्राम छमऊ शुक्ल का पुरवा हरिहरपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ के द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर अपनी पत्नी मृतका ललिता देवी उम्र करीब 50 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से काटकर हत्या कर देने की सूचना दिया गया लिखित सूचना के आधार पर थाना बाघराय प्रतपागढ़ पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह थाना बाघराय, द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सर्विलांस टीम की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्यों/ मैन्यूअल साक्ष्यों व पूछताछ के क्रम में दि0 13.07.2024 को मृतका ललिता देवी उम्र करीब 50 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति के

द्वारा धारदार हथियार से काटकर हत्या कर फील्ड युनिट की मदद से आवश्यक कार्यवाही करते हुए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की अभियुक्त रामकुमार पटेल पुत्र मयाराम पटेल नि0 छमऊ शुक्ल का पुरवा हरिहरपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 51 वर्ष पूछने पर बताया कि मैं 02 भाई हूँ, मै बडा हूं, छोटा भाई शिवकुमार है। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। हम दोनों भाई अलग हो गये हैं, मेरी पत्नी का नाम ललिता देवी जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। मेरे पिता जी मयाराम पटेल पुत्र स्व0 लल्लू राम पटेल रेलवे विभाग में सर्विस करते थे तभी से हमारा उनसे सम्बन्ध ठीक नहीं था। वह वर्ष 2016 में रेल विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी उम्र इस समय लगभग 69 वर्ष के करीब होगी। रिटायरमेंट के बाद भी मेरी उनसे बात चीत नहीं होती थी। मेरे पिता जी पहले से ही मुझसे पता नहीं किस कारण ईर्ष्या करते थे। मै उनसे बातचीत नहीं करता था इसी कारण रिटायर होने के पश्चात मुझे कोई पैसा नहीं दिये। तब से हमारी उनके प्रति भावना ठीक नहीं थी, मै उनसे घृणा करता था। मेरी मृतका पत्नी ललिता देवी मेरे पिता जी को मेरे मना करने के बावजूद भी खाना देती थी और बातचीत करती थी। मैने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि मेरे पिता जी से मेरे सम्बन्ध अच्छे नहीं है फिर तुम उन्हे खाना क्यों देती हो, मेरे समझाने के बावजूद भी वह कई बार चोरी छिपे खाना देती रही तथा उनसे बातचीत करती रही। यह बात मुझे नागवार लगती थी और फिर मैने तय कर लिया कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगा।

दिनांक 12.07.2024 को मेरी पत्नी से मेरा काफी वाद विवाद हुआ था तथा इसके पूर्व भी मेरी पत्नी से कई बार कहा सुनी हुई थी। योजना के तहत दिनांक 12.07.2024 की रात में खाना पीना खाकर घर के बाहर सीमेन्ट की चादर से बनी छप्पर के नीचे मै व मेरी पत्नी आस पास में चारपाई लगाकर सो रहे थे। पूर्व से योजना के तहत अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए मैं घर से धारदार बांका लाकर छुपाकर पहले से रख दिया था। उस रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी जब मेरी पत्नी गहरी नींद में थी तब मै मौका पाकर दिनांक 12/13.07.2024 की रात करीब समय लगभग 03.00 या 3.30 बजे छुपाये गये धारदार बांका से अपनी पत्नी के उपर प्राण घातक हमला कर दिया। वह कसमसाई उसकी आवाज न निकले इसिलिए मैने उसी बांके से कई बार अपनी पत्नी के शरीर के उपरी हिस्से व गर्दन पर जोरदार प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

मैं अपने बचने के लिए लोगों के कहने पर पुलिस को गुमराह में रखते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मैने जो इनर वियर व बनियान पहना था उस पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। जिस धारदार बांका से मैने अपनी पत्नी की हत्या की थी, अण्डर बियर व बांका जिसमें खून के धब्बे लगे हुए अपने घर में छुपाकर रखा था।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त विवेचना प्रभारी निरीक्षक बाघराय श्री प्रदीप कुमार के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त रामकुमार पटेल पुत्र मयाराम पटेल को दि0 15.07.2024 को समय करीब 23.55 बजे अभियुक्त के घर से मय आलाकत्ल के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रामकुमार पटेल पुत्र मयाराम पटेल नि0ग्राम छमऊ शुक्ल का पुरवा हरिहरपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी का विवरणः-

01- धारदार बांका

02- घटना के समय अभियुक्त के पहने हुये इनर वियर

01- प्लास्टिक की बोरी

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

2. उ0नि0 श्री भृगुनाथ मिश्रा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

3. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

4. का0 महेश सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

5. का0 बाबी चौधरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़

दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत आशीष हॉस्पिटल एवं सर्जिकल सेण्टर ढकवा में अभियुक्त डॉ आशीष कुमार ने इलाज के दौरान किया था दुष्कर्म

दुष्कर्मी अभियुक्त थाना क्षेत्रान्तर्गत हाइवे पुलिया पट्टी रोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2024 को वादी अपनी पुत्री इलाज कराने हेतु थाना क्षेत्रान्तर्गत आशीष हॉस्पिटल एवं सर्जिकल सेण्टर ढकवा, नगर पंचायत प्रतापगढ़ के डॉ0 आशीष कुमार यादव के यहां कराने गये थे, ऑपरेशन होने के बाद इलाज चल रहा था। दिनांक 12.07.2024 को सुबह वादी की पुत्री को ड्रेसिंग के दौरान डॉ0 आशीष कुमार द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके के साथ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में धारा 64(2)E, 351 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट बनाम आशीष कुमार यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुरा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.07.2024 को समय 08.30 बजे क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मृत्युन्जय, हे0का0 जयप्रकाश, का0 राजेन्द्र गर्ग द्वारा रात्रिगश्त, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियुक्त से संबंधित 01.आशीष कुमार यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुरा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत हाइवे पुलिया पट्टी रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आशीष कुमार यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुरा थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मृत्युन्जय, हे0का0 जयप्रकाश, का0 राजेन्द्र गर्ग थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।